न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
167/2020	03.09.2020	11.12.2021

उनवान

1. सावित्री देवी पत्नी श्री रोहिताश जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0। ....अप्रार्थी

दावा इश्तकराइक मय दूरूस्ती इन्द्राज
वाद अर्न्तगत धारा 88, 89

....

वकील वादी :— श्री बस्तीराम यादव

—: निर्णय :—

दिनांक :— 11.12.2021

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 11.12.2021 को पेश हुई। वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के जरिये आराजी खसरा 176/1.39 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मैनपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम सावित्री देवी के स्थान पर सोमोतीदेवी दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त करवाकर सावित्री देवी पत्नी रोहिताश्व दर्ज करवाना चाहती है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पैन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशनकार्ड की छायाप्रति, सेना द्वारा जारी उनके पति का पीपीओ आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें वादी का नाम सावित्री अंकित है। वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसमें उसने स्वयं का असल नाम सावित्री देवी होना बताया है। जो पत्रावली शामिल है।

वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी की विधिवत् तामिल कराई गई। बाद तामिल वाद में पैरोकार सरकार ने अपना लिखित जबाव प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु उनके प्रतिनिधि पटवारी हल्का मैनपुर उपस्थित आये। जिन्होनें अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वादी का नाम ग्राम श्री कृष्ण नगर के राजस्व रिकॉर्ड में सोमोती देवी पत्नी रोहिताश दर्ज है लेकिन वादी के समस्त दस्तावेजात में नाम सावित्री पत्नी रोहिताश है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, दौराने बहस वकील वादी ने वाद के जिमनों को दोहराते हुए उपरोक्त आराजी खसरा नम्बरान् में वादी सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी दर्ज करवाकर खातेदार घोषित करवाना किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी एक व्यक्ति के दो नाम है। उक्त दस्तावेजात के आधार पर यह न्यायालय वादिया के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा 176/1.39 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मैनपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी का नाम रिकोर्ड में दर्ज किया जावें व सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी को खातेदार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Ba
Date: 2022.07.05 13:13:54 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
167/2020	03.09.2020	11.12.2021

उनवान

1. सावित्री देवी पत्नी श्री रोहिताश जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर, राज0। ....अप्रार्थी

दावा इश्तकराइक मय दूरूस्ती इन्द्राज
वाद अर्न्तगत धारा 88, 89

....

वकील वादी :– श्री बस्तीराम यादव

–: पर्चा डिक्री :–

दिनांक :– 11.12.2021

वादी की ओर से एडवोकेट श्री बस्तीराम यादव की व प्रतिवादी की ओर प्रतिनिधि पटवारी हल्का मैनपुर के इस वाद में आज तारीख 11.12.2021 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा 176/1.39 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम मैनपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावें व सोमोती देवी के स्थान पर सावित्री देवी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 11.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.07.05 13:13:54 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज बड[illegible]र)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0